न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 154/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मालिक गाडी संख्या RJ-32-GA-3048
2. ड्राइवर गाडी संख्या RJ-32-GA-3048

4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री विजय बेनीवाल अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर ग्रामीण, श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.07.2016 को पुलिस थाना पनियाला जिला जयपुर द्वारा वाहनों को रुकवाकर चैक करने पर वाहन पिकअप नं. RJ-14-GA-3048 चालक गाडी छोडकर भाग गया। गाडी में लोहे की टंकी में डीजल मिला जिस पर पुलिस ने वाहन को डिटेन किया। सूचना मिलने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.07..2016 को थाने मे पहुंचकर जांच करने पर जब्त वाहन में रखे टैंक से 1700 लीटर अवैध डीजल, टैंक से जुडी पेट्रोल पम्प की नोजल, पाइप और मीटरिंग यूनिट मिले। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल का अवैध रुप से भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था। गाडी चालक मौके से भाग गया था एवं गाडी से भी डीजल की खरीद व परिवहन के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, [illegible] आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.08.2016 को अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री विजय बेनीवाल ने उपस्थिती दी। अप्रार्थीगण/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया। दिनांक 12.08.2016 को श्री सुभाष जाट पुत्र श्री दाताराम ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 4,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 10.10.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 17.10.2016 को गाडी मालिक श्री सुभाष द्वारा [illegible] ने जब्त टैंक को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक लंबित रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.07.2016 को जब्त डीजल का अवैध भण्डारण/संग्रहण एवं परिवहन किया जा रहा था। गाडी चालक मौके से भाग गया था एवं गाडी से भी डीजल की खरीद व परिवहन के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गये। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। दौराने सुनवाई न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त डीजल के बिल नहीं दिये तथा डीजल की खरीद बेचान का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया। जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के एक समय पर उसके पास अधिसूचित सीमा यथा 1000 लीटर से अधिक डीजल की मात्रा का स्वयं या अपने निमित्त किसी भी व्यक्ति के मार्फत भण्डारण करने पर प्रतिबंध है। गाडी में लोहे के भारी टैंक को फिट किया जाकर उसके साथ पेट्रोल पम्प के नोजल पाइप और मीटरिंग यूनिट अटेच किये जाने से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण डीजल को अवैध रुप से बेचने के लिये ले जा रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल 1697.750 लीटर मय आयताकार लोहे का टैंक, पेट्रोल पम्प का नोजल, पाइप, मीटरिंग यूनिट एवं जब्त वाहन पिकअप नंबर RJ-32-GA-3048 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।